

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री श्रीगंगानगर जिला श्री करणपुर

नाम राज सिंह बनाम सम्पूर्ण सिंह आदि
 क्रम संख्या 98, 2023 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
19 ⁰⁹ / ₂₅	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्र की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली के अन्तर्गत दिनांक 06/10/25 को पेश हो।	
6 ¹⁰ / ₂₅	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्र की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली के अन्तर्गत दिनांक 07/10/25 को पेश हो।	
7 ¹⁰ / ₂₅	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्षों द्वारा प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पर की गई बहस पर मगन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिखावट प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी दिनांक 12/10/2023 की अस्थापी निवेदना के मूलवाद के निष्पत्ति तक स्थापी की जाती है। पत्रावली निष्पत्ति होकर नम्बर से क्रम लेकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

